

भारत सरकार  
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय  
लोक सभा  
अंतर्रांकित प्रश्न संख्या : 1760  
उत्तर देने की तारीख : 05.12.2024  
एमएसएमई संकुलों का विकास

1760. श्री बस्तीपति नागराजूः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) 2021 से अब तक आन्ध्र प्रदेश की ओर से सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) के अंतर्गत एमएसएमई संकुलों के विकास हेतु वर्ष-वार कितने प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं और कितने अनुमोदित हुए हैं;
- (ख) एमएसई-सीडीपी योजना के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश की ओर से अनुमोदित परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति का व्यौरा क्या है और इनके पूरा होने की संभावित समय-सीमा क्या है; और
- (ग) 2021 से अब तक आन्ध्र प्रदेश की ओर से अनुमोदित परियोजनाओं हेतु आवंटित, संवितरित और उपयोग की गई निधि का वर्ष-वार व्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री  
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख) : सूक्ष्म और लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) योजना के तहत, 2021-2022 से अब तक आंध्र प्रदेश राज्य में सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) के 06 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। सूक्ष्म और लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) योजना के तहत आंध्र प्रदेश में अनुमोदित सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) का वर्ष-वार विवरण, इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए संभावित समय सीमा के साथ-साथ इनकी वास्तविक प्रगति का वर्ष-वार विवरण (अनुबंध-I) संलग्न है।

(ग) : सूक्ष्म और लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) एक मांग आधारित योजना है जिसके तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें अनुमोदित परियोजनाओं के लिए अपेक्षित निधि हेतु प्रस्ताव करती हैं। सूक्ष्म और लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) योजना के तहत वर्ष 2021-2022 से अब तक आंध्र प्रदेश से अनुमोदित परियोजनाओं के लिए संवितरित निधियों का वर्ष-वार विवरण (अनुबंध - II) संलग्न है।

\*\*\*\*\*

लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं.1760, जिसका उत्तर दिनांक 05.12.2024 को दिया जाना है, के भाग (क) एवं (ख) के संदर्भ में अनुबंध

सूक्ष्म और लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) योजना के तहत सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) के लिए अनुमोदित/विकसित परियोजनाओं और आंध्र प्रदेश में इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित समय सीमा के साथ वास्तविक प्रगति का वर्ष-वार विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	क्लस्टर का नाम	अंतिम अनुमोदन की तारीख	परियोजना की वैधता/पूरा करने के लिए अपेक्षित समय सीमा	परियोजना लागत	भारत सरकार का अनुदान	भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान	वास्तविक प्रगति
1.	दालों एवं दालों के उत्पाद क्लस्टर में सीएफसी, मचावरम गांव, रायवरम मंडल, पूर्वी गोदावरी जिला	16.11.21	31.03.25	1483.06	1038.14	726.70	70%
2.	प्रिंटिंग क्लस्टर, काकीनाडा, पूर्वी गोदावरी जिले में सीएफसी	29.07.21	31.12.24	1476.00	1033.20	929.88	85%
3.	स्वर्ण आभूषण क्लस्टर, जगग्न्यापेटा, कृष्णा जिले में सीएफसी	19.08.21	31.10.24	800.00	614.52	430.16	70%
4.	फर्नीचर विनिर्माण क्लस्टर, राजमुंद्री में सीएफसी	19.08.21	31.03.25	1498.41	1048.88	0.00	40%
5.	होजरी और रेडीमेड गारमेंट्स क्लस्टर, नेल्लोर में सीएफसी	26.11.21	31.03.25	822.98	576.08	0.00	45%
6.	प्रिंटिंग क्लस्टर, तिरुपति में सीएफसी	07.06.24	07.12.25	2519.26	1763.48	0.00	30%

लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं.1760, जिसका उत्तर दिनांक 05.12.2024 को दिया जाना है, के भाग (ग) के संदर्भ में अनुबंध

सूक्ष्म और लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) के तहत 2021-2022 से अब तक आंध्र प्रदेश से अनुमोदित परियोजनाओं के लिए संवितरित निधियों का वर्ष-वार विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	संवितरित निधियां/भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान (करोड़ रुपए में)
2021-2022	0.00
2022-2023	4.13
2023-2024	14.89
2024-2025 (02.12.2024 तक की स्थिति के अनुसार)	1.84
कुल	20.86

\*\*\*\*\*